मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

क्रमांक–एफ–3 / 197 / 2012 / 32 भोपाल, दिनांक / 10 / 2016

प्रति,

उप नियंत्रक
शासन केन्द्रीय मुद्रणालय
भोपाल ।

विषय :– खण्डवा विकास योजना 2031 का अनुमोदन ।

उपरोक्त विषय में विभागीय सुचना दिनांक 01 / 11 / 2016 की हिन्दी एवं अँग्रेजी की प्रति संलग्न है । कृपया उक्त सूचना का साधारण राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन कर प्रकाशित राजपत्र की 10 प्रतियॉ विभागीय उपयोग हेतु भिजवाने का कष्ट करें ।

संलग्न :यथोपरि

(सी के साधव)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

266/TC 03/11/16

क्रमांक–एफ–3 / 197 / 2012 / 32 भोपाल,दिनांक 01 / 11 / 2016

प्रतिलिपिः–

आयुक्त सह सचांलक नगर तथा ग्राम निवेश की और सूचना की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि नगर तथा ग्राम निवेश की बेबसाईट पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
नगरीय विकास एव आवास विभाग

संचालनालय
नगर तथा ग्राम निवेश
1499
दिनांक 02/11/16
शाखा TC Add Dr (N)
अधीक्षक आयुक्त

DD TC 04/11/16

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय

//सूचना//

भोपाल, दिनांक 01/11/2016

क्रमांक एफ–3–197/2012/32 :: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा खण्डवा निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2031 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1)में अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात––

1. कलेक्टर , खण्डवा म0प्र0.।
2. आयुक्त नगर निगम खण्डवा म0प्र0
3. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला–कार्यालय खण्डवा म0प्र0।

2/– विकास योजना में नियोजन मापदण्ड के अनुसार आवासीय भू–उपयोग पर्याप्त मात्रा में होने तथा प्रश्नाधीन भूमियॉ नदी किनारे पर होने के कारण ग्राम सुजापुर कला के खसरा कमांक 153/3, 147/2, 146, 147/1, 148, 153/4, 153/1, 153/5, 153/2 पर आपत्ति सुनवाई की अनुशंसा से असहमत होते हुए प्रारूप विकास योजना के प्रस्ताव यथावत होंगे।

3/–खण्डवा विकास योजना 2011 में मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा–23 (क) एवं धारा 35 के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा किये गये उपांतरण एवं अंतिम विकास योजना में दर्शित आरक्षण से निर्मुक्त भूमि खण्डवा विकास योजना 2031 का भाग होगा ।

4/–यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(सी के साधव)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग

2/dhara 19(2)/order

Government of Madhya Pradesh
Urban Development and Housing Department
Mantralaya

//Notice //

Bhopal, dated 01 / 11 **/2016**

No. F-3-197/2012/32: Notice under section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for , Khandwa, 2031 under sub- section (1) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:-

1. Collector, District Khandwa, M.P.
2. Commissioner, Municipal Corporation, Khandwa M.P.
3. Dy Director, Town & Country Planning Distt. Office Khandwa, M.P

2/ Land bearing Khasra number 153/3, 147/2, 146, 147/1, 148, 153/4, 153/1, 153/5, 153/2 of village Sujapur Kala are adjoining river bank and area of residential land use proposed in the development plan is as per the planning norms hence the recommendation of objection hearing is hereby not accepted. The land use proposal for the above stated lands will be as per draft development plan.

3/ Modification and deletion of reservation of designited plan of final development plan done by the State Government in Khandwa development Plan 2011, under Section 23-A and under section 35 will be the part of Khandwa development Plan 2031.

4/ The said development plan shall come into operation with effect from of publication of this notice in M.P. Gazette under section 19 (5) of M.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the
Governor of Madhya Pradesh

(C.K.Sadhav)
Deputy Secretary
Government of Madhya Pradesh
Urban Development & Housing Deptt.

24/8/2016

dhara 19